भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4697

दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने का अधिकार

4697. थिरु दयानिधि मारनः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने के अधिकारों के संबंध में श्रीलंका के साथ एक नए समझौते के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए / उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले ग्यारह वर्षों में श्रीलंका द्वारा तमिलनाडु के लगभग 3,656 मछुआरों की गिरफ्तारी और 611 मशीनीकृत नौकाओं को जब्त किए जाने की सूचना है;

(ग) यदि हां, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या इन गिरफ्तारियों और जब्तियों से प्रभावित मछुआरों को मुआवजा या सहायता प्रदान करने के लिए कोई ढांचा मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या भारतीय मछुआरों, विशेष रूप से तमिलनाडु के मछुआरों की चिंताओं को दूर करने और हल करने के लिए श्रीलंका के साथ कोई राजनयिक संपर्क शुरू किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में श्रीलंका सरकार के साथ पत्राचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वर्तमान में, भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने के अधिकार के संबंध में किसी नए करार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पूर्व में इस मामले से संबंधित करार क्रमशः 1974 और 1976 में संपन्न हुए थे।

(ख) भारतीय मछुआरों को समय-समय पर श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा (आईएमबीएल) पार करने और श्रीलंकाई समुद्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, पिछले 11 वर्षों में श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के मछुआरों और उनकी नावों के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के मछुआरों की संख्या**	**श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा हिरासत में ली गई तमिलनाडु की नौकाओं की संख्या**
2025*	135	18
2024	526	72
2023	220	33
2022	229	31
2021	143	20
2020	74	11
2019	190	39
2018	156	26
2017	453	82
2016	290	51
2015	454	71

* 22 मार्च 2025 तक

रिहा किये गये मछुआरों और नौकाओं का विवरण निम्नलिखित है:

(आंकड़े 26 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार)

वर्ष	श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों की संख्या	रिहा किए गए और स्वदेश भेजे गये मछुआरों की संख्या	हिरासत में लिए गए मछुआरों की संख्या
2014	787	787	शून्य
2015	454	454	शून्य
2016	290	290	शून्य
2017	453	453	शून्य
2018	156	156	शून्य
2019	210	210	शून्य
2020	74	74	शून्य
2021	159	159	शून्य
2022	268	268	शून्य
2023	240	240	शून्य
2024	560	535	25
2025	147	80 (प्रत्यावर्तन से पहले अन्य 6 मछुआरों की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं)	61

वर्ष	हिरासत में ली गई नौकाओं की संख्या	रिहा की गई नौकाओं की संख्या
2014	164	159
2015	71	87
2016	51	03
2017	82	42

2018	26	178
2019	42	02
2020	11	शून्य
2021	20	06
2022	37	01
2023	35	14
2024	75	12
2025	20	01

(**ग** से **च**) भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार लगातार द्विपक्षीय तंत्रों, राजनयिक चैनलों और विभिन्न आधिकारिक वार्ताओं के माध्यम से श्रीलंका सरकार के साथ भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के मुद्दे को उठाती रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ हाल ही में हुई बैठक (16 दिसंबर 2024) भी शामिल है। सभी वार्ताओं में, श्रीलंकाई प्राधिकारियों को यह अवगत कराया गया है कि इस मुद्दे पर पूरी तरह से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रीलंका स्थित हमारे मिशन और कोंसलावास भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाने और उन्हें कानूनी सहायता सहित अपेक्षित सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए स्थानीय जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं।

इसके अतिरिक्त, मछुआरों से जुड़े मुद्दों को द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों के माध्यम से निपटाया जाता है, जैसे कि मत्स्य पालन संबंधी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी), जिसमें तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। जेडब्ल्यूजी की पिछली बैठक 29 अक्टूबर 2024 को हुई थी। सरकार के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों के फलस्वरूप श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा 2024 से हिरासत में लिए गए 615 मछुआरों की रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित हुई है।

*****